

12/04/2024

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन भय नकल जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते नोटिस तामील दिनांक 21/05/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

21/05/2024

पत्रावली पेश हुई... P.O. साखुवा
श्रवणारा... प्र. दोने के करण
अब पत्रावली पूर्वांनुसार दिनांक
22/05/2024 को पेश की जावे।

Bij
21/5

22/05/2024

पत्रावली पेश हुई... आशुभाषा... द्वारा
अभियोग... का... स्थिति... करने...
अब पत्रावली पूर्वांनुसार दिनांक
12/06/24... को पेश की जावे।

Bij
22/5

12/06/2024

पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी व वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगावाई गई बावजूद वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में वाद-पत्र में वैरती हेतु वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से वाद-पत्र को इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम वैरती में खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)